भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी / यू0पी0 / 08 / 75 / 2023 / एफ.सी. / 40 दिनॉक: 17.04.2023

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Water/155091/2022

विषयः ललितपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जाखलौन बिरधा, धौरा, बालाबेहट, कड़ेसरा कला और मऊ ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु प्रभावित 2.024059 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 6.137750 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 8.161809 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 878 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्रांक 98 / 81–2–2023–800(71) / 2023, दिनांक–28.03.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण में दिनांक 28.03.2023 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 3.12-UP) शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं / जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. Detailed report on violation of Forest Conservation Act, 1980 including extent of works done by user agency and name of authority responsible for violation/granting permission to be submitted by State Govt.
2. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of violation as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times including extent of works done by user agency and name of authority responsible for violation/granting permission to be submitted by State Govt.
3. The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of violation as reported by the inspecting officer with maximum up to five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposit is made.
4. All components need to be depicted in kml file.
5. Points raised in DSS report to be addressed (Component wise breakup of the area proposed for diversion needs to be provided in kml file).
6. As per the Google earth imagery dated 06.05.2021, it seems that the proposed NFL CA land is falls under the Barren Rocky.
7. As per the Google earth imageries dated 04.12.2022, partial plantation activity has been observed on the proposed DFL CA area (Riccha Maholi.)
8. NOC of ASI is required to be submitted.
9. In Part II Working Plan area detail needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर ।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

18.04.2023

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}